

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : दयानन्द रूयल, तहसीलदार

मिसल संख्या : 257 / 18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019

निर्णय दिनांक :

राजस्थान सरकार

बनाम

जेठूराम पुत्र सोमूराम

जाति बागरिया नि0 पांचवा

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जेठूराम पुत्र सोमूराम जाति बागरिया निवासी पांचवा नें ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 271 कुल रकबा 21.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.04 हैक्टेर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्बत 2075 में पक्का मकान व कच्ची चार दीवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति अतिक्रमी स्वयं ने प्राप्त कि। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ तथा जवाब व आबादी भूमि का पट्टा की प्रति पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ हैं, जो आबादी की भूमि है। उक्त भूमि अतिक्रमण नहीं होना बताया गया। प्रस्तुत पट्टा की छाया प्रति जो कि साक्ष्य में ग्राह्य योग्य दस्तावेज नहीं है एवं पूर्ण विश्वसनीय दस्तावेज भी प्रतीत नहीं होता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पट्टा की प्रति के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना -पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु. गौचर दर्ज है। गैर मु. गौचर किस्म की भूमि राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में है जिसमें कभी भी किसी तरह का स्वामित्त प्राप्त नहीं हो सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि

अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थीगण को प्रसंगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थीगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 271 कुल रकबा 21.57 हैक्टेयर गै.मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.20 का पच्चास गुणा से राशि 10/- अक्षरे दस रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ़तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

माँग कायमी रा.ले.स.-4

पृष्ठ संख्या 39

वर्ष 20-21

रा.जुर्माना -

क.निलामी -

गोचर जुर्माना 10

प्रा.पैदावार -

तराले कुचामन सिटी

९
(दर्यानन्द रूयल)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला भागौर - राज०